रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242091
CG-DL-E-20012023-242091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,19 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 32(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी समूह ’क’ पदों पर भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2019 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), वरिष्ठ उप जज अटर्नी जनरल (द्वितीय कमान) समूह ‘क’ पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट) और वरिष्ठ उप जज अटर्नी जनरल (द्वितीय कमान) समूह ‘क’ भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं। प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अंतर्गत इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।

6. वरिष्ठता.— वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धातों के अनुसार अवधारित होगी अर्थात्‌:-

(i) किसी सारभूत हैसियत में नियुक्त कोई अधिकारी स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी से वरिष्ठ होगा,

(ii) किसी सारभूत्‌ हैसियत में किसी पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता उस पद पर अधिष्ठायी हैसियत में उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित होगी और जहां दो या अधिक अधिकारी एक ही तारीख को सारभूत्‌ हैसियत में नियुक्त किए जाते हैं, वहीं उनकी वरिष्ठता किसी स्थानापन्न हैसियत में ऐसे पद धारण करते समय उनकी वरिष्ठता के अनुसार अवधारित होगी; और

(iii) वरिष्ठता के अवधारण के प्रयोजन के लिए तदर्थ/ स्थानापन्न आधार पर सेवा के लिए कोई बल नही दिया जाता है और वरिष्ठता सारभूत नियुक्ति की तारीख से गणना की जाती है।

7. सेवा की अन्य शर्तें.— ऐसे विषयों के संबंध में जिनके बारे में इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किए गए हैं या अपर्याप्त उपबंध हैं, अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), वरिष्ठ उप जज अटर्नी जनरल (द्वितीय कमान) की सेवा शर्तें जब तक कि केंद्रीय सरकार लिखित में किसी आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दें, वही होंगी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अन्य अधिकारियों जो तत्समान रैंक या प्रास्थिति धारण किए हुए हैं, के लिए समय-समय पर लागू होती हैं।

8. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. विदेशियों की अपात्रता.— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

11. अधिवर्षिता.— (1) ऐसे अधिकारी जो अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट) और वरिष्ठ उप जज अटर्नी जनरल (द्वितीय कमान) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होंगे।

परंतु कोई जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, वे सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात्‌ साठ वर्ष प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृति के लिए विहित आयु के पश्चात्‌ सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

12. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	पद का वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेट)	05*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रू. 123100–215900)	चयन पद ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	अधिवर्षिता की आयु से पूर्व पुनर्नियोजित अधिकारियों के लिए: दो वर्ष	चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति /पुनर्नियोजन द्वारा । भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा: भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के वरिष्ठ उप जज अटर्नी जनरल (द्वितीय कमान) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रू. 78800-209200) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह 'क' में पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा जिन्हें विधिक या न्यायालय मामलों से निपटने का पंद्रह वर्ष का अनुभव हो और उन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों। **टिप्पण 1:** सीधे नियुक्त उप सेनानी जज अटर्नी जनरल (उप सेनानी) के मामले में समूह 'क' में सेवा पंद्रह वर्ष की अपेक्षा दस वर्ष होगी। (चूंकि ऐसे अधिकारियों की सेवा में समूह 'क' की कल्पित सेवा के पांच वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से जोड़े जाते हैं) **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसे व्यक्ति जो

(i) केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (रू.123100-215900) में सेनानी अथवा समकक्ष पद पर तैनात हों तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नात्तक हो और विधिक मामलों तथा न्यायालय मामलों के निपटान का पंद्रह वर्षों का अनुभव हो; अथवा

(ii) सेना या नौसेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में कर्नल या समकक्ष रैंक का अधिकारी हो, अथवा सेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष/नौसेना अधिकारी जिसने कम से कम पंद्रह वर्ष की कमीशन सेवा पूर्ण कर ली हो, रैंक का अधिकारी; अथवा

(iii) केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200) में द्वितीय कमान अथवा समकक्ष पद पर पांच वर्षों की सेवा तथा समूह 'क' में 15 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या समकक्ष हों तथा उन्हें बल के विधि संबंधी मामलों के निपटान का पंद्रह वर्षों का अनुभव हो; अथवा

(iv) केंद्रीय या राज्य न्यायिक सेवा में वेतन मैट्रिक्स स्तर -12 (रू.78800-209200) में पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा समूह 'क' में 15 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से विधि स्नातक हो तथा समूह ' क' में 15 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंर्तगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी पात्र नहीं होंगे, जिनकी पदोन्नति होने वाली है।

भूतपूर्व सैनिको के लिए: प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): - 1. महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 4. जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. वरिष्ठ उप जज अटर्नी जनरल (द्वितीय कमान)	03*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रू. 78800–209200)	चयन पद ।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।	प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति द्वारा:

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप जज अटर्नी जनरल (उप सेनानी) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(रू.67700-208700) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और नियमित रूप से समूह 'क' की न्यूनतम दस वर्ष की सेवा नियमित आधार पर बल में करने और विधिक मामलों या न्यायालय संबंधी मामलों से निपटने में दस वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पूर्व पाठ्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो ।

टिप्पण 1: सीधे नियुक्त उप जज अटर्नी जनरल (उप सेनानी) के मामले में समूह 'क' की न्यूनतम दस वर्ष की सेवा के स्थान पर पांच वर्ष सेवा की आवश्यक है (चूंकि ऐसे अधिकारियों की सेवा में उनकी नियुक्ति की तारीख से समूह 'क' में पांच वर्ष की कल्पित सेवा जोड़ी जाती है।)

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): - 1. अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 4. जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I-12022/24/2021-संगठन]

पी.एस. डंगवाल, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General andJudge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and Conditions of Service Rules, 2019 in so far as it relates to the post of Additional Judge Attorney General (Commandant), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Additional Judge Attorney General (Commandant), Senior Deputy Judge Attorney General (Second-in-Command), Group 'A' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Additional Judge Attorney General (Commandant), Senior Deputy Judge Attorney General (Second-in-Command), Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of said post, its classification and the pay matrix or pay scale and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Medical Fitness.- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

6. Seniority.-The seniority shall be determined in accordance with the following principles, namely:-

(i) an officer appointed in a substantive capacity shall be senior an officer appointed in an officiating capacity ;

(ii) seniority of officers appointed to any post in a substantive capacity shall be determined in accordance with the date of appointment to that post in a substantive capacity and where two or more officers are appointed in a substantive capacity on the same date, their seniority shall be determined in accordance with their seniority while holding such posts in an officiating capacity ; and

(iii) no weightage is to be given for service rendered on ad-hoc/officiating basis for the purpose of determination of seniority and seniority is to be counted from the date of substantive appointment.

7. Other conditions of Service.-The conditions of service of the Additional Judge Attorney General (Commandant) and Senior Deputy Judge Attorney General (Second-in-Command) in respect of matters for which no provision or insufficient provision has been made under these rules, shall, unless the Central Government, by an order in writing, otherwise directs, be the same as are applicable from time to time to other officers of the Indo-Tibetan Border Police Force holding the corresponding ranks or status.

8. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Ineligibility of non-citizens of India.- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

11. Superannuation.- Officers holding the rank of Additional Judge Attorney General (Commandant) and Senior Deputy Judge Attorney General (Second-in-Command) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years.

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. sixty years.

12. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification of the post.	Level in the pay matrix	Selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Additional Judge Attorney General (Commandant)	05* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay level 13 (Rs. 123100 – 215900) in pay matrix.	Selection Post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for officers re-employed before age of superannuation.	forty per cent by promotion failing which by deputation and sixty percent by deputation / re-employment. For ex-serviceman: Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(11)
By promotion: From amongst Senior Deputy Judge Attorney General (Second-in-Command) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix having five years regular service in the grade, with fifteen years Group 'A' service and having minimum fifteen years experience in dealing with legal matters or court cases and having successfully completed the pre-promotional courses specified by the Central Government. **Note 1:-** The requirement of fifteen years of Group 'A' service, in the case of directly appointed Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) shall be ten years. (since five years of notional service in Group 'A' is added to the service of such officers, on the date of their appointment) **Note 2:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By Deputation:**

A person who -

(i) is serving in Central Armed Police Force and holding post of Commandant or equivalent in level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix with degree in Law from a recognised University or equivalent and having fifteen years experience in dealing with legal matters or Court cases; or

(ii) is an officer of the rank of Colonel or equivalent in the Department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or an officer of the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in the Department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force with minimum fifteen years of commissioned service; or

(iii) is serving in Central Armed Police Force and holding post of Second-in-Command or equivalent in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix with five years regular service in the grade with minimum fifteen years of regular Group 'A' service and having degree in law from a recognised University or equivalent and having fifteen years experience in dealing with legal matters and Court cases; or

(iv) is a member of Central or of the State Judicial Service in Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having degree in law from a recognised University or equivalent with minimum fifteen years of regular Group 'A' service.

Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2:- The maximum age limit for eligibility for deputation shall not be exceeding fifty-six year on the date of receipt of application.

Note 3:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

For Ex-serviceman deputation/re-employment

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered.

Provided that such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to be released from Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Confirmation):- 1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman ; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 4. Judge Attorney General(Deputy Inspector General), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Deputy Judge Attorney General (Second-in-Command)	03* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group ‘A’ Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay level 12 (Rs.78800-209200) in pay matrix.	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)
By promotion: From amongst Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having minimum ten years of Group 'A' service on regular basis in the Force and having ten years experience in dealing with legal matters or court cases and having successfully completed the pre-promotional courses specified by the Central Government. **Note 1**:- The requirement of ten years of Group 'A' service, in the case of directly appointed Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) shall be five years. (since 05 years of notional service in Group 'A' is added to the service of such officers, on the date of their appointment) **Note 2**:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; 4. Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. I. 12022/24/2021-Org.]

P.S. DANGWAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.20 11:35:26 +05'30'